फाइल सं. ए-12018/04/2016-प्रशासन 3
भारत सरकार
नीति आयोग

संसद मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई, 2017

विषय: नीति आयोग में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा तैयार करने के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियां मंगवाने के बारे में।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 13 अक्तूबर, 2015 के का.ज्ञा. सं एबी-14017/61/2008-स्थापना (आरआर) में शामिल अनुदेशों के अनुपालन में, नीति आयोग द्वारा नीति आयोग में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे के संबंध में हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। इस मामले में टिप्पणियां, नीति आयोग की वेबसाइट में इसके प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर rradm4-niti@gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

(गुलवीना बधान)
अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्नक: मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा।

भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 2017

सा.का.नि. .... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (समूह 'घ' कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में बहु-कार्य-कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -** (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) (बहु-कार्य-कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2017 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.-** ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बहु-कार्य-कर्मचारिवृंद	52* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-1 (रु.18,000-56,900)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि हो
(6)	(7)	(8)	(9)
आयु 18 और 25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैँण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पाँगी उप-खण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती का तरीक़ा, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीक़ों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	**पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नत या प्रतिनियुक्त या आमेलित किया जाना है**	**अगर विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसका संघटन क्या है**	**वे परिस्थितियां, जिनमें भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है**
(10)	**(11)**	**12**	**13**
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	**पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल हैं:** निदेशक (प्रशा.)/उप सचिव (प्रशा.) - अध्यक्ष संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार - सदस्य अवर सचिव/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

टिप्पण: अब से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में पूर्ववर्ती समूह 'घ' कर्मचारिवृंद को बहु-कार्य-कर्मचारिवृंद के रूप में जाना जाएगा।

फाइल सं. ए-12018/04/2016-प्रशा.।।।

(गुलवीना बधान)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली

प्रति:

1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (आर आर अनुभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को उनकी दिनांक..........की आईडी सं. .... के संदर्भ में।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को उनके दिनांक ....के पत्र सं. .... के संदर्भ में।
3. विधि मंत्रालय (विधायी विभाग), विधायी-1 अनुभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को उनकी दिनांक .... की आईडी संख्या .... के संदर्भ में।
4. विधायी विभाग, राजभाषा खण्ड, कमरा सं. 723-ए, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
5. मुख्य पुस्तकाध्यक्ष, लोक सभा सचिवालय (अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।
6. लोक सभा सचिवालय (अधीनस्थ विधान समिति हेतु)।
7. राज्य सभा सचिवालय (अधीनस्थ विधान समिति हेतु)।
8. अवर सचिव (सामान्य/प्रोटोकॉल), नीति आयोग
9. प्रशासन I/II/III अनुभाग
10. पुस्तकालय, नीति आयोग/पीईओ पुस्तकालय

(गुलवीना बधान)

अवर सचिव, भारत सरकार